

42
आयालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 2018 पुनरीक्षण
निगरानी- 5945/2018/ग्वालियर (सीलिंग अधि.)

1. अमर सिंह
2. मुख्तियार सिंह
3. सुरेन्द्र सिंह पुत्रगण प्रीतम सिंह
4. दिलीप सिंह
5. सुखदेव सिंह
6. सोबरन सिंह
7. लखवीर सिंह पुत्रगण करनेल सिंह
निवासीगण ग्राम-झाडोली
तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर

विरुद्ध

1. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जिला-ग्वालियर
2. ग्वालियर एग्रीकल्चर कम्पनी डबरा
जिला-ग्वालियर द्वारा संचालक



सक्षम अधिकारी एवं अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/अ-90/बी-3/2016-17 में की जा रही कार्यवाही एवं आदेश पत्रिका दिनांक 20/09/2018 के पुनरीक्षण हेतु आवेदन अंतर्गत धारा-42 म.प्र. कृषक खातो की अधिकतम जोत सीमा अधिनियम 1960.

(Signature)

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/5945/2018/ग्वालियर/सीलिंग

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से श्री एस0के0वाजपेयी अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से श्री देवेन्द्र चौबे, शासकीय अधिवक्ता उपस्थित । आवेदक द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलायेजाने के कारण नॉटप्रेस में समाप्त किये जानेका निवेदन किया गया । विचारोपरांत निवेदन स्वीकार । प्रकरण आवेदक के निवेदन पर आगे नहीं चलाये जाने से नॉटप्रेस में समाप्त किया जाता है ।</p> <p> स.उ.</p> <p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	